देने के लिए अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् ने हाल में एक राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षा प्रत्यायन परिषद् का गठन किया है तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने इसी प्रकार की संस्था का उच्च शिक्षा के लिए गठन किया है ।

ग्रामीण क्षेत्रों में केन्द्रीय विद्यालयों का खोला जाना

2901. **श्री ईश दत्त यादव** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू योजनावधि के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में केन्द्रीय विद्यालय खोलने के संबंध में सरकार की नीति क्या रही है ;

(ख) क्या वर्तमान विश्वविद्यालयों को दो भागों में बांटने के लिए कोई सर्वेक्षण कराया गया है; और

(ग) यदि हां, तो राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग और संस्कृति विभाग) में उपमंत्री (कुमारी शैलजा): (क) केन्द्रीय विद्यालय योजना मुख्यतया केन्द्रीय सरकार के स्थानान्तरणीय कर्मचारियों के स्कूल जाने वाले बच्चों की शैक्षणिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बनाई गई है । तदनुसार, केन्द्रीय विद्यालय केन्द्रीय सरकार के स्थानान्तरणीय कर्मचारियों की पर्याप्त संख्या वाले स्थानों पर और साथ ही उन मूलभूत सुविधाओं की उपलब्धता के आधार पर खोले जाते हैं, जो प्रायोजक एजेंसियों द्वारा प्रदान की जाती है ।

केन्द्रीय विद्यालय सार्वजनिक क्षेत्र के उन उपक्रमों के आवासीय परिसरों में भी खोले जाते हैं जहां प्रायोजक परियोजना विद्यालय संबंधी आवर्ती और अनावर्ती व्यय वहन करने के लिए सहमत होते हैं ।

सरकार ने वर्ष 1993-94 से 1997-98 के दौरान रक्षा/सिविल क्षेत्र में प्रत्येक वर्ष 20 केन्द्रीय विद्यालय और परियोजना क्षेत्र में यथासंभव केन्द्रीय विद्यालयों के खोलने का अनुमोदन किया है ।

(ख) और (ग) सरकार को इस प्रकार के किसी सर्वेक्षण की जानकारी नहीं है ।

गुजरात में शारीरिक शिक्षा के लिये वित्तीय सहायता दिया जाना

2902. **श्री कनकसिंह मोहनसिंह मंगरोला** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात सरकार ने राज्य के विद्यालयों में शारीरिक शिक्षा के स्तर में सुधार करने के उद्देश्य से वित्तीय सहायता मांगी है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में अब तक क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान गुजरात सरकार द्वारा कितनी वित्तीय सहायता आवंटित/जारी की गई ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (युवा कार्य और खेल विभाग) में राज्य मंत्री (श्री मुकुल वासनिक): जी, नहीं ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता ।

कामकाजी महिलाओं के लिये होस्टल

2903. **श्री कनकसिंह मोहनसिंह मंगरोला** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में कामकाजी महिलाओं के लिए होस्टलों की कमी है ;

(ख) क्या सरकार ने कामकाजी महिलाओं के लिए होस्टलों की आवश्यकता का आकलन किया है ;

(ग) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं; और

(घ) सरकार ने कामकाजी महिलाओं के लिए होस्टलों की जरूरतों को पूरा करने हेतु क्या प्रयास किए हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (महिला और बाल विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती वासवा राजेश्वरी) : (क) से (घ) रोजगार और प्रशिक्षण महानिदेशालय द्वारा भेजे गए रोजगार विपणन सूचना संबंधी आंकड़ों (1991–92) के आधार पर देश में संगठित क्षेत्र में ऐसी कामकाजी महिलाओं की संख्या जिनकी मासिक आय 5000/–रु० से अधिक नहीं है और जिन्हें होस्टल में आवास की आवश्यकता है, लगभग 1.35 लाख आंकी गई है।

सातवीं पंचवर्षीय योजनावधि के अंत तक बच्चों के लिए दिवस देखभाल केन्द्र सहित कामकाजी महिलाओं के लिए होस्टल भवन के निर्माण/विस्तार के लिए सहायता स्कीम के अंतर्गत 627 होस्टल संस्वीकृत किए जा चुके थे जिनमें 40,662 कामकाजी महिलाओं को आवास-सुविधा प्रदान करने की क्षमता थी। आठवीं पंचवर्षीय योजनावधि (1992–97) के दौरान 12,500 कामकाजी महिलाओं के लिए होस्टल सुविधा उपलब्ध कराने के लिए इस स्कीम के लिए 35 करोड़ रु० का परिव्यय रखा गया है। आठवीं पंचवर्षीय योजनावधि में, 29 मार्च, 1995 तक 5479 कामकाजी महिलाओं के लिए 77 होस्टल संस्वीकृत किए जा चुके हैं जिससे 46,140 कामकाजी महिलाओं के लिए अब तक संस्वीकृत होस्टलों की कुल संख्या 704 हो गई है। राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को सलाह दी गई है कि वे इस कार्यक्रम को शुरू करने के लिए गैर-सरकारी संगठनों को प्रोत्साहन और सहायता प्रदान करें।

ग्रामीण युवकों के लिए खेल-कूद एवं प्रशिक्षण केन्द्र

2904. **श्री कनकसिंह मोहनसिंह भंगरोला** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ग्रामीण युवकों के लिए प्रति दस गांव के एक समूह हेतु एक सूचना, खेलकूद एवं प्रशिक्षण केन्द्र खोलने का विचार रखती है ;

(ख) यदि हां, तो गत दो वर्षों में इस संबंध में हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या यह सच है कि काम की प्रगति बहुत धीमी रही है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (युवा कार्यक्रम और खेल विभाग) में राज्य मंत्री (श्री मकूल वासनिक) : (क) जी, हां। सरकार ने नेहरू युवा केन्द्र संगठन के माध्यम से प्रति दस गांव के एक समूह के युवा क्लबों में से सक्रिय युवा क्लब को 30,000/–रु० की सहायता देकर, युवा विकास केन्द्र खोलने का प्रस्ताव रखा है। इन युवा विकास केन्द्रों के लक्ष्य इस प्रकार होंगे :—

(1) ग्रामीण स्तर पर युवा क्लबों और जिला स्तर पर नेहरू युवा केन्द्रों के बीच मध्यस्थता स्थापित करना ।

(2) विकासात्मक और मनोरंजक क्रियाकलापों में ग्रामीण युवाओं की पूर्ण भागीदारी के लिए अवसर प्रदान करना।

(3) उपरोक्त प्रयोजनों के लिए युवाओं को केवल न्यूनतम अवस्थापना उपलब्ध कराना।

युवा विकास केन्द्र संबंधित गांवों में होने वाले सभी क्रियाकलापों के केन्द्र बिन्दु माने जाएंगे। हालांकि, सरकार का लक्ष्य 10 गांवों के एक समूह के लिए युवा विकास केन्द्र स्थापित करना है, परंतु धनराशि की कमी के कारण इस समय समूचे देश के प्रति 10 गांवों के समूह के लिए युवा विकास केन्द्र खोलना संभव नहीं है ।